



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5271

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2011/चैत्र 7, 1933

No. 527]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2011/CHAITRA 7, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2011

का.आ. 642(अ),—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में यह निदेश देती हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमण एवं दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी-संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे वह उप राज्यपाल अथवा प्रशासक कहे जाते हों) राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन रहते हुए और अगले आदेश होने तक, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, अपने संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन भी करेंगे।

[फा. सं. 11030/7/2009-यू टी एल]

एम. गोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2011

S.O. 642(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Puducherry (whether known as Lieutenant Governor or Administrator) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008) and the rules made thereunder within their respective Union Territories.

[F. No. 11030/7/2009-UTL]

M. GOPAL REDDY, Jt. Secy.